

राजस्थान सरकार
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान
स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम जयपुर

क्रमांक- एच/एफएसएसए/2011/604

दिनांक 29/9/11

संयुक्त निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
निदेशालय मुख्यालय ।

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)
राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान ।


विषय:- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत लाईसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

उपरोक्त विषय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक F. No. 123-Dir(Enf.)/FSSAI/2011 दिनांक 19.07.11 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि पत्र में वर्णितानुसार आपके अधीनस्थ संस्थानों के रजिस्ट्रेशन एवं लाईसेन्स जारी करने हेतु अभिहित अधिकारी (Designated Officer) के कोड नम्बर निम्न प्रकार से आवंटित किये जाते हैं:-

क्र0सं0	अभिहित अधिकारी (Designated Officer)	आवंटित क्रमांक
1.	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर	001
2.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, अजमेर	002
3.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, भरतपुर	003
4.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, बीकानेर	004
5.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, कोटा	005
6.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, जयपुर	006
7.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, जोधपुर	007
8.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, उदयपुर	008
9.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	009
10.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	010
11.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा	011
12.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा	012
13.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर	014
14.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	015
15.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	016
16.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	017
17.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी	018
18.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ	019
19.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु	020
20.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा	021
21.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर	022
22.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	023

23.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगानगर	024
24.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ	025
25.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम	026
26.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय	027
27.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर	028
28.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर	029
29.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड	030
30.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू	031
31.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	032
32.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली	033
33.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	034
34.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	035
35.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	036
36.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद	037
37.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर	038
38.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	039
39.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही	040
40.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	041
41.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	042
42.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ	043


अभिहित अधिकारी (Designated Officer) के कोड नम्बर के अलावा अन्य क्रमांक उक्त पत्र में वर्णित दिशा-निर्देशानुसार अंकित किया जावे।


 आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
 निदेशक (ग्रा0स्वा0)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक- एच/एफएसएसए/2011/ 604
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 29/9/11

1. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
2. समस्त, खाद्य सुरक्षा एवं स्टेण्डर्ड लैब राजस्थान।
3. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को नेट पर डालवाने का श्रम करें।


 आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
 निदेशक (ग्रा0स्वा0)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर